# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 338 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 554

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1.जगदीश पुत्र पोकरराम<br>2.गेनाराम पुत्र पोकरराम<br>जाति विश्नोई<br>निवासी साहिब नगर,डोली खुर्द<br>तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा | | 1.मोहनराम पुत्र पोकरराम<br>2.हेमाराम पुत्र पोकरराम<br>3.बुधाराम पुत्र जोगाराम<br>4.भबूताराम पुत्र काछबाराम<br>5.मांगीलाल दत्तक पुत्र भाकरराम<br>जाति विश्नोई<br>निवासी साहिब नगर,डोली खुर्द तहसील कल्याणपुर<br>6.शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कल्याणपुर<br>7.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर |

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

**उपस्थिति–**

1. श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 06
3. प्रतिवादी संख्या 06 व 07 एकपक्षीय

:–आदेश:–

दिनांक 03.7.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम साहिब नगर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1,138 / 1,139 / 1,140 / 1,165 / [illegible] 2,132,134,72,79,91व 97 कुल क्षेत्रफल 31.6626 हैक्टयर व ग्राम डोली खुर्द तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 156,159 व 160 कुल क्षेत्रफल 4.3463 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 06 की सह–खातेदारी में अवस्थित है। विवादित भूमि वक्त सेन्टलमेट प्रार्थीगण [illegible] पिता पोकरराम की सहखाते[illegible] दर्ज थी। प्रार्थीगण के पिता पोकरराम का देहान्त होने पर भरे गए फोतदगी नामान्तकरण में प्रार्थी संख्या 01 का घेरलू बोलचाल भाषा में जगदीश के स्थान पर अशुद्व प्रविष्टि जगाराम एवं प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:50:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

संख्या 02 गेनाराम के स्थान पर अशुद्व प्रविष्टि वेनाराम इन्द्राज कर दी गई,अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। जबकि प्रार्थीगण का वास्तविक नाम जगदीश व गेनाराम है। अतः प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि में दायर अशुद्व प्रविष्टि जगाराम व वेनाराम के स्थान पर सही नाम जगदीश व गेनाराम इन्द्राज करवानें हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया है।

**2.**प्रार्थी का आवेदन–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुआ। अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड़ द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 से 06 की तरफ से वकालतनामा पेश कर इकबाली जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 06 व 07 को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया तथा नियत पेशी पर उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

**3.**उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 से 06 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम साहिब नगर तहसील कल्याणपुर की ख़सरा संख्या 1, 138/1, 139/1, 140/1, 165/73,84,101,12,132,134,72,79,91व 97 कुल क्षेत्रफल 31.6626 हैक्टयर व ग्राम डोली खुर्द तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 156,159 व 160 कुल क्षेत्रफल 4.3463 हैक्टयर अवस्थित है। प्रार्थीगण का धरेलू बोलचाल भाषा में जगाराम व वेनाराम नाम से पुकारे थे। प्रार्थीगण के पिता का देहान्त होने पर फोतदगी नामान्तकरण भरते समय वास्तविक नाम प्रार्थी संख्या 01 जगदीश के स्थान पर जगाराम व प्रार्थी संख्या 02 गेनाराम के स्थान पर वेनाराम दर्ज कर दिए गए,जो कि रेकर्ड में गलत नाम इन्द्राज किए गए है,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थीगण के वास्तविक नाम जगदीश व गेनाराम दर्ज है,लेकिन विवादित आराजी में प्रार्थीगण के अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थीगण को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। विवादित आराजी में प्रार्थीगण के गलत नाम इन्द्राज होने के कारण अपूरणीय क्षति हो रही है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में अशुद्व नाम जगाराम व वेनाराम के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि जगदीश व गेनाराम इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावें।

**5.**विप्रार्थी संख्या 01 से 06 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण व विप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी का अपने हक–हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन विवादित आराजी में प्रार्थीगण के गलत नाम इन्द्राज हो रखे है,प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तो विप्रार्थी को आपत्ति नहीं है।

**6.हमनें** उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 से 06 की संयुक्त ख़ातेदारी भूमि ग्राम साहिब नगर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1, 138/1, 139/1, 140/1, 165/73,84,101,12,132,134,72,79,91व 97 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:30:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

क्षेत्रफल 31.6626 हैक्टयर व ग्राम डोली खुर्द तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 156,159 व 160 कुल क्षेत्रफल 4.3463 हैक्टयर अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण के नाम जगाराम व वेनाराम दर्ज हो रखे है। उक्त प्रविष्टिया प्रार्थीगण के पिता पोकरराम के फोत पर भरे गए वारिसान नामान्तकरण संख्या 24,16 व 242 के द्वारा इन्द्राज हुई है। जबकि प्रार्थीगण के वोटर कार्ड,आयकर विभाग द्वारा जारी पेन–कार्ड प्रति,एस.बी.बी.जे. शाखा कल्याणपुर द्वारा बैक डायरी प्रति,राशन कार्ड प्रति,जन आधार कार्ड,आधार कार्ड में प्रार्थीगण के नाम जगदीश व गेनाराम दर्ज हो रखे है तथा विवादित आराजी के सहखातेदार विप्रार्थी संख्या 01 से 06 ने प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया तथा बहस में स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण के विवादित आराजी में गलत नाम दर्ज हो रखे है। प्रार्थीगण के विवादित आराजी में अशुद्व नाम जगाराम व वेनाराम के स्थान पर सही नाम जगदीश व गेनाराम दुरूस्त किए जाते है,तो विप्रार्थी को आपति नहीं है। इससे प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण का विवादित आराजी में अशुद्व नाम प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,जो प्रार्थीगण नाम दुरूस्ती करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण अपना आवेदन–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहे है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है।

**07.**उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि में अपना अशुद्व नाम जगाराम व वेनाराम के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि जगदीश व गेनाराम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

**–:आदेश:–**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–साहिब नगर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1, 138/1, 139/1, 140/1, 165/73,84,101,12,132,134,72,79,91व 97 कुल क्षेत्रफल 31.6626 हैक्टयर व ग्राम डोली खुर्द तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 156,159 व 160 कुल क्षेत्रफल 4.3463 हैक्टयर भूमि में प्रार्थीगण का अशुद्व नाम प्रविष्टि जगाराम व वेनाराम पुत्र पोकरराम के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि जगदीश व गेनाराम पुत्र पोकरराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:50:21 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 03·7·2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा